**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग**

**राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 219**

**01 दिसम्बर, 2015 को उत्तर के लिए**

**एक रैंक एक पेंशन संबंधी आंदोलन**

**219. श्री प्रमोद तिवारीः**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त सैनिक एक रैंक एक पेंशन (पी आर ओ पी) को मंजूरी प्रदान किए जाने हेतु आंदोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई योजना बनायी गयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्य है ?

**उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)**

(क) भूतपूर्व सैनिक 2009 से एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) के लिए आंदोलन कर रहे हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने एक रैंक एक पेंशन के कार्यान्वयन के लिए 7.11.2015 को आदेश जारी कर दिए हैं।

 एक रैंक एक पेंशन की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं: -

1. पूर्व पेंशनरों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की पेंशन के आधार पर पुनर्निर्धारित की जाएगी और लाभ 01.07.2014 से प्रभावी होंगे।
2. सभी पेंशनरों की पेंशन 2013 में उसी रैंक और उसी सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन की औसत के आधार पर पुनर्निर्धारित की जाएगी।

…2/-

- 2 -

1. जो औसत से अधिक पेंशन आहरित कर रहे हैं उनकी पेंशन संरक्षित की जाएगी।
2. बकाया का भुगतान चार समान अर्धवार्षिक किस्तों में किया जाएगा। तथापि, सभी पारिवारिक पेंशन धारकों जिनमें विशेष/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन लेने वाले भी शामिल हैं और वीरता पुरस्कार विजेताओं को एकमुश्त किस्त में बकाया का भुगतान किया जाएगा।
3. भविष्य में, प्रत्येक 5 वर्षों में पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

इसके पश्चात सेना नियम 1954 के नियम 13(3)1(आई)(बी), 13(3)1(iv) अथवा नियम 16 बी अथवा समकक्ष नौसेना अथवा वायु सेना नियमों के अंतर्गत स्वयं के आग्रह पर जो कार्मिक सेवा से मुक्त होने का विकल्प देंगे वे एक रैंक एक पेंशन का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। इसे भविष्यलक्षी रूप से लागू किया जाएगा।

सरकार ने एक रैंक एक पेंशन के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों, यदि कोई हों, की जांच के लिए एक न्यायिक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

…